भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3783

जिसका उत्तर 25.03.2026 को दिया जाना है

भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और प्रतिकर

3783 श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आज की तिथि तक भारतमाला परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए राज्य-वार और परियोजना-वार कुल कितनी भूमि की आवश्यकता थी और कितनी अधिग्रहित की गई;

(ख) इस प्रकार के भूमि अधिग्रहण के लिए आकलित और वितरित राज्य-वार और वर्ष-वार कुल मुआवजा कितना है;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जहां भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत वैधानिक समय-सीमा के गुज़र जाने के बाद भी प्रतिकर या पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए किया जाने वाला भुगतान लंबित हैं; और

(घ) क्या भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण भारतमाला परियोजनाओं में लागत वृद्धि की कोई समीक्षा की गई है और परियोजना-वार ऐसी कितनी वृद्धि हुई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न हैं।

(ख) विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अनुसार की जाती है और सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(ए) के तहत अधिसूचित भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, भूमि के स्वामित्व संबंधी विवादों, राजस्व अभिलेखों (रिकॉर्ड) में विसंगतियों, मुआवजे पर विवाद के कारण वितरित/भुगतान की गई राशि को स्वीकारने के प्रति लाभार्थी की अनिच्छा आदि विभिन्न कारणों से मुआवजे के अधिनिर्धारण और वितरण के बीच समय का अंतर रहता है।

(घ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं सहित निर्माणाधीन 85 राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएं तीन वर्ष से अधिक विलंबित हैं, जिसका कारण

विभिन्न मुद्दें, जैसे भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों, वैधानिक मंजूरी/अनुमतियों, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाने, कानून व्यवस्था संबंधी मुद्दे, रियायतग्राही/ठेकेदार की कार्यान्वयन क्षमता को प्रभावित करने वाले वित्तीय संकट, ठेकेदार/रियायतग्राही के खराब निष्पादन और कोविड-19 महामारी, कानून में परिवर्तन आदि जैसी अप्रत्याशित घटनाएं हैं।

सरकार ने विलंब और बार-बार होने वाली लागत वृद्धि से बचने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इनमें सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और जीआईएस-आधारित भूमि अधिग्रहण योजना के साथ एकीकृत "भूमिराशि" पोर्टल का उपयोग करके भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और त्वरित बनाना, वन और पर्यावरण संबंधी मंजूरियों में तेजी लाने के लिए "परिवेश" पोर्टल को नवीनीकृत करना, सड़क ऊपरि पुल/सड़क अधोपुल (आरओबी/आरयूबी) के सामान्य आरेख (जीएडी) की ऑनलाइन स्वीकृति सुगम करना और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के सक्रिय सहयोग से चल रही परियोजनाओं में बाधाओं/अड़चनों की समीक्षा और समाधान तंत्र का लाभ उठाना शामिल है। सरकार ने विभिन्न अनुमोदनों के लिए निर्धारित समयसीमा के साथ रेलवे संबंधी मंजूरियों के लिए एक वेब पोर्टल भी शुरू किया है।

सरकार ने परियोजना की प्रगति और ठेकेदारों की अक्षमताओं की निगरानी के लिए कई तंत्रों का उपयोग करते हुए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। परियोजना की प्रगति का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, विशेषरूप से उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए जिनमें तीन वर्ष से अधिक की देरी हो चुकी है या जिनका कार्य सौंपने / नियत करने की तिथि लंबित है। सभी विलंबित परियोजनाओं में लागत वृद्धि नहीं होती है। यदि देरी ठेकेदार के कारण नहीं है, तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार लागत वृद्धि का भुगतान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत लग सकती है या नहीं भी लग सकती है, यह परियोजना के वास्तविक पूर्ण होने पर निर्धारित मूल्य वृद्धि के अंतिम मूल्य पर निर्भर करता है। यदि देरी ठेकेदार के कारण है, तो हर्जाना लगाया जाता है और देरी के कारण कोई अतिरिक्त लागत नहीं लगती है।

कई राज्य सरकारें परियोजना कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय बैठकें आयोजित करती हैं। जिन परियोजनाओं में मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं, उन्हें परियोजना निगरानी समूह के माध्यम से आगे की समीक्षा के लिए प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, 3 वर्ष से अधिक विलंबित परियोजनाओं की संख्या फरवरी 2026 में 85 रह गई है।

किसी नई परियोजना के लिए अधिकतम संरेखण को एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा परियोजना की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, भूमि की लागत, अधिग्रहण की समयावधि आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए अनुमोदित किया जाता है।

अनुलग्नक-I

'भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और प्रतिकर' के संबंध में श्रीमती फूलो देवी नेतम द्वारा पूछे गए दिनांक 25.03.2026 के राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3783 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पिछले 5 वर्षों (2021-2026) के दौरान भारतमाला परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं के लिए राज्य-वार भूमि अधिग्रहण का विवरण

क्र.सं.	राज्य	अधिग्रहित भूमि (हेक्टेयर)
1	आंध्र प्रदेश	5033.20
2	असम	674.66
3	बिहार	5274.88
4	छत्तीसगढ	976.45
5	दादरा और नगर हवेली	2.36
6	दिल्ली	16.05
7	गुजरात	2442.12
8	हरियाणा	1832.60
9	हिमाचल प्रदेश	510.39
10	जम्मू और कश्मीर	632.37
11	झारखंड	4482.28
12	कर्नाटक	6292.26
13	केरल	781.95
14	मध्य प्रदेश	6634.87
15	महाराष्ट्र	4779.82
16	मेघालय	2.85
17	ओडिशा	2602.28
18	पुद्दूचेरी	8.82
19	पंजाब	5483.34
20	राजस्थान	1799.60
21	तमिलनाडु	1058.58
22	तेलंगाना	4796.16
23	उत्तर प्रदेश	7098.43
24	उत्तराखंड	606.86
25	पश्चिम बंगाल	2274.86
कुल		**66098.03**

अनुलग्नक-II

'भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और प्रतिकर' के संबंध में श्रीमती फूलो देवी नेतम द्वारा पूछे गए दिनांक 25.03.2026 के राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3783 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एनएचएआई द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक (26 फरवरी तक) भूमि अधिग्रहण व्यय (करोड़ रुपये में)					
राज्य	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26, 26 फरवरी तक**
आंध्र प्रदेश	1,157.27	1,178.09	1,734.23	270.14	253.66
असम	1.83	1.81	17.17	23.70	314.25
बिहार	3,498.64	1,622.82	1,339.43	347.87	361.28
छत्तीसगढ	716.44	340.27	801.20	-738.63	453.73
दिल्ली	(191.85)	(259.73)	0.59	51.63	8.97
गोवा	-	-	0.00	0.00	0.00
गुजरात	4,716.15	2,446.28	918.45	222.87	773.82
हरियाणा	1,355.69	3,253.72	948.12	222.12	-426.54
हिमाचल प्रदेश	702.24	2,305.17	818.93	315.31	230.70
जम्मू और कश्मीर	875.55	874.05	1,066.04	275.92	312.37
झारखंड	652.33	785.63	1,593.40	1,935.71	653.49
कर्नाटक	2,967.18	2,403.88	1,887.27	2,409.13	1,376.47
केरल	12,424.11	5,852.82	5,016.53	-19.43	283.03
मध्य प्रदेश	1,409.78	426.75	786.18	389.33	1,733.06
महाराष्ट्र	5,307.76	4,908.30	3,032.19	1,171.28	2,928.63
मेघालय	-	8.70	0.00	0.00	0.00
ओडिशा	303.95	194.26	213.37	128.01	334.26
पंजाब	6,245.97	6,456.93	4,832.48	2,359.25	769.40
राजस्थान	238.12	638.02	132.22	147.36	51.36
तमिलनाडु	558.31	1,818.77	1,481.80	725.14	660.07
तेलंगाना	508.47	818.73	850.32	324.28	1,022.48
उत्तर प्रदेश	2,075.71	8,388.50	5,727.94	1,436.71	2,995.90
उत्तराखंड	446.32	1,472.82	521.77	193.64	75.01
पश्चिम बंगाल	503.68	136.58	598.61	182.78	1,311.42
कुल	**46,473.63**	**46,073.17**	**34,318.25**	**12,374.13**	**16,476.83**

*****